न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः-- श्री अयूब खान (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 29/2015

प्रार्थी

1 सीता पत्नि वस्तीराम

2 परमेश्वर लाल पुत्र वस्तीराम

3 हसमुख पुत्र वस्तीराम

4 भावना उर्फ नीता पुत्री वस्तीराम पत्नी विक्रम जाति राव निवासी सोजत सिटी हाल शिवगंज जिला सिरोही

5 मोनिका पुत्री वस्तीराम पत्नी रविन्द्र जाति राव निवासी सोजत सिटी हाल गॉव खुडाला तहसील बाली जिला पाली

6 मनिषा पुत्री वस्तीराम पत्नी महेन्द्र जाति राव, निवासी रावो का बास, सोजत सिटी हाल दातिवाडा, तहसील बाली जिला पाली राजस्थान।

अप्रार्थीगण

1. टीकुलाल पुत्र धुला जाति राव, निवासी हाल व्यासों का बास, गोचीवाडा, सोजतसिटी तहसील सोजत, जिला पाली
2. नरपतसिंह पुत्र मुरलीधर जाति राव, निवासी रावों का बास, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः--

1. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री सोहनलाल गौराणा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

--:आदेश:-- दिनांक 06.02.2019

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दिनांक 18.07.2017को यह प्रार्थना--पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सोजत चक नम्बर 02 तहसील सोजत जिला पाली मे नये खसरा नम्बर 1429 रकबा 0.6300 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। जिसे इस प्रार्थना पत्र में वादरथ कृषि भूमि के रूप में सम्बोधित किया जा रहा है। उक्त नये खसरा नम्बर की कृषि भूमि के पुराने खसरा नम्बर 1054 रकबा 31 बिघा 3 बिस्वा है जो स्व0 धुला पुत्र हरदान (हरदास) व अन्य खातेदारान के नाम दर्ज थी । स्व0 धुला पुत्र हरदान (हरदास) प्रार्थीगण सं01 के दादा ससूर तथा प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 के परदादा एवं अप्रार्थी संख्या 01 टीकूलाल के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 2 नरपत, दादा है। स्व. धुला पुत्र हरदान(हरदास) व अन्य खातेदार के नाम राजस्व रेकॉर्ड में सम्वत् 2026 से पूर्व से दर्ज थे। स्व0 धुला पुत्र हरदान (हरदास) अपने जीवनकाल मे वादरथ कृषि भूमि खसरा नम्बर 1429 रकबा 0.6300 हैक्टर पर काबिज थे तथा कास्त करते आ रहे थे। वादरथ कृषि भूमि में स्व0 धुला पुत्र हरदान (हरदास) की मृत्यु के पश्चात 1/3 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्रार्थीगण के दादा/ससुर स्व0 लक्ष्मण में तथा 1/3 हिस्से के खातेदारी अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 टीकूलाल में व 1/3 हिस्से के खातेदारी अधिकार अप्रार्थी संख्या 2 के पिता में निहित हो चुके थे। इसी कारण उनके पुत्र लक्ष्मण टीकू मूरलीधर वादरथ कृषि भूमि पर बतौर खातेदार कास्तकार की हैसियत से 1/3-1/3 हिस्से पर काबिज हुए । दौराने सेटलमेन्ट पुराने खसरा नम्बरान के नये नम्बरान दर्ज किये गयें। इसी दरम्यान लक्ष्मण पुत्र धुला का देहान्त दिनांक 05.03.1970 हो गया। स्व0 लक्ष्मण पुत्र धुला के देहान्त के पश्चात् वादरथ पुस्तैनी कृषि भूमि के 1/3 हिस्से के खातेदारी अधिकार लक्ष्मण पुत्र धुला के स्थान प्रार्थीगण के पति /पिता वस्तीराम में निहित हो गये। अप्रार्थी संख्या 01 टीकुलाल एवं

उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

र्थीगण संख्या 02 के पिता मुरलीधर की नियत में शुरू से ही खोट थी। अप्रार्थी संख्या 01 कूलाल एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पिता मुरलीधर के भोले स्वभाव एवं मन्द बुद्धि होने का फायदा उठाने एवं बस्तीराम की भूमि हड़पने की नियत से अप्रार्थीगण संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 के पिता मुरलीधर ने स्व0 धुला पुत्र हरदान (हरदास) के फौतेदगी म्यूटेशन अपने नाम म्यूटेशन संख्या 256 सन 1984 में भरवा दिया । जबकि स्व0 लक्ष्मण पुत्र धुला का एक मात्र वारिस प्रार्थी संख्या 1 के पति एवं प्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के पिता बस्तीराम सन 1984 जीवित थे तथा वादस्थ कृषि भूमि के 1/3 हिस्से पर काबिज व काश्त करते आ रहे थे। इस प्रकार स्व0 धुला स्व0 लक्ष्मण के वारिस स्व0 बस्तीराम जीवित होते हुए भी उसका नाम दर्ज नही किया जो गलत है। उक्त म्यूटेशन संख्या 256 का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में ईन्द्राज किया गया। तत्पश्चात आगे से आगे उक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी मे अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। जमाबन्दी सम्वत 2050 से 53 मे अप्रार्थीगण संख्या 2 के पिता मुरलीधर का फौतेदगी म्यूटेशन सख्या 728 दिनाक 05.08.1997 भरा गया। जिसके कारण मुरलीधर के स्थान पर नरपतसिंह अप्रार्थी संख्या 2 का नाम दर्ज हुआ है। स्व0 बस्तीराम का देहान्त सन 1999 में होने के कारण उक्त वादस्थ कृषि भूमि मे से 1/3 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्रार्थीगण मे जरीये हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के निहित हो चुके है। प्रार्थीगण अपने पुस्तैनी वादस्थ कृषि भूमि के 1/3 हिस्से की खातेदारी हक हकुक एवं अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनी सुविधानुसार काश करते आ रहे है किन्तु न तो वादस्थ कृषि भूमि मे प्रार्थीगण एव का नाम बतौर खातेदार कास्तकार के रूप में दर्ज है न ही वादस्थ कृषि भूमि का बटवाडा आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान के मध्य हो रखा है। इसलिए वादग्रस्त आराजीयात मे प्रार्थीगण व अप्राथीगण का संयुक्त कब्जा काश्त है। परन्तु संयुक्त खातेदारी हक एवं संयुक्त कब्जा काश्त के कारण पक्षकारान के मध्य छोटी छोटी बातो को लेकर विवाद/ मतभेद उत्पन्न होता रहता हैं तथा कोई भी पक्षकार अपनी इच्छानुसार अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग व काश्त आसानी से नही कर पाता है। प्रार्थीगण अपना हिस्सा अलग अलग करना चाहते है व प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा करवाने के अधिकारी है। बटवाडा के पूर्व किसी भी पक्षकार का यह अधिकार नहीं है कि वह अपने अन्य सहखातेदार के हिस्से की भूमि को बेचान हस्तान्तरण या उक्त भूमि पर अतिक्रमण करे या बिना बंटवाडा करवाये कोई निर्माण कार्य करवाये या विशिष्ठ भू भाग का बेचान कराये अर्थात बंटवाडा के पश्चात ही यदि कोई पक्षकार कृषि भूमि पर किसी प्रकार अर्थात बंटवाडा के पश्चात ही यदि कोई पक्षकार कृषि भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करवा सकता है या उक्त हिस्से की भूमि को सुधार सकता है क्योकि बंटवाडा के पूर्व प्रत्येक इंच की कृषि भूमि पर प्रत्येक सहखातेदारान का हिस्सा हक एवं अधिकार होता है। अप्रार्थीगण स0 1 व 2 की नियत में खोट आ चूकी है। दिनांक .27.06.2017 को प्रार्थीनी संख्या 1 अपनी उक्त कृषि भूमि को सम्भालने एवं कंटिली झाडिया काटने हेतु गई, तब अप्रार्थीगण सख्या 1 व 2 अपने साथ 2–3 अन्य व्यक्ति को लेकर आये तथा हाथो के ईशारे से उक्त कृषि भूमि बताई । तब प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण से बंटवाडे का कहने अप्रार्थीगण ने प्रार्थीनी को धमकीयाँ दी कि " हमने उक्त भूमि का बेचान का सौदा कर लिया है, आज जमीन दिखाने के लिए लेकर आये है, तुम्हारा कोई हक हिस्सा इस जमीन में नही है तथा तुम्हें किसी प्रकार से खेती बाडी नही करने देंगे तथा अगर आईन्दा खेत में दिखी तो टांगे तोड देंगें।" तब प्रार्थीया ने वादस्थ खसरा [illegible]त की नकले प्राप्त की तो प्रार्थीगण का ज्ञात हुआ कि उक्त वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही है। प्रार्थीगण की जीविकोपार्जन का एक मात्र सहारा उक्त कृषि भूमि ही है अगर

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] ('[illegible]-पाली) राज

Scanned by CamScanner

श्रीगण सा0 1 व 2 ने प्रार्थीगण को वादस्थ कृषि भूमि से बेदखल कर बैचान, हस्तान्तरण कर देते तो प्रार्थीगण अपने हक एवं अधिकार से हमेशा के लिए मेहरू हो जायेगें तथा प्रार्थीगण के हक एवं अधिकारों पर कुठाराघात होगा। जिससे प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का वहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण श्रीमान के पेश किया है। प्रार्थीगण का वादस्थ भूमि मे 1/3 हिस्सा हक हकुक खातेदारी कब्जा काश्त का आता है। इस प्रकार राजस्व प्रार्थना पत्र मय शपथ – पत्र एवं दस्तावेज पेश कर चूंकि प्रार्थीगण उक्त भूमि पर अपने 1/3 हिस्से का उपयोग उपभोग कब्जा काश्त करने का पूर्ण वैधिक अधिकार प्राप्त है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से नही रोका गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। इसलिए अप्रार्थीगण को ता फैसला मूल वाद के जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा वहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि सरहद मौजा सोजत चक नम्बर 2 तहसील सोजत के नये खसरा नम्बर 1429 रकबा 0.6300 हैक्टर मे से प्रार्थीगणके 1/3 हक हिस्से की कृषि भूमि मे अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की दखल अन्दाजी स्वयं ना ही एजन्ट आदिसे करने / करवाने तथा अन्य कोई निर्माण कार्य करने व करवाने से अप्रार्थीगण रोक जाने अर्थात उक्त विवादग्रस्त भूमि की वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने हेतु पावन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अधिवक्ता ने दिनांक 13.09.2017 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि नया खसरा नम्बर 1429 मौजा सोजत चक द्वितीय वादग्रस्त नही है। उक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 1025 रकबा 31 बिघा व 3 बिस्वा धूला पुत्र हरदान व अन्य खातेदार के नाम दर्ज होने की जानकारी नही है। खसरा नम्बर 1429 की भूमि धुला के नाम नही थी बल्कि अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की थी। जिसमें प्रार्थीगण के दादा ससूर लक्ष्मणराम का 1/3 हिस्सा नही है, बल्कि टीकूलाल व मुरलीधर के नाम खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पिछले 40 वर्षो से है। प्रार्थीगण ने धूला व अन्य खातेदार कौन कौन थे स्पष्ट अंकित नही किया है। धूला पुत्र हरदान के सभी वारिसान को उक्त वाद व प्रार्थना पत्र मे आवश्यक पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि के 1/3 हिस्से पर से कब्जा काश्त अप्रार्थीगण के साथ नही है। धूला के दो पुत्रिया है तथा मुरलीधर के सभी वारिसान को पक्षकारान नही बनाया गया है। पुराने खसरा नम्बर 1054 रकबा 31 बिघा 3 बिस्वा बीघा भूमि धूला पुत्र हरदान व अन्य खातेदारान की होना अंकित किया लेकिन आवश्यक पक्षकार नही तथा स्पष्ट नही किये जाने आदि तथ्यों को उल्लेखितकर प्रस्तुत प्रा0पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआकी है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट0 1955 सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि विवादग्रस्त भूमि मौजा – सोजत चक 2 में पुराने खसरा नम्बर 1054 के नये खसरा नम्बर 1429 रकबा 0.6300 हैक्टर वा0प्र0 की भूमि मिलान खसरा अनुसार स्पष्ट सिद्ध है। जो मूल पुरूष धूला के नाम की है, जिनके मूरलीधर लक्षमण व टीकूवारिसान हुए। मुरलीधर फौत के वारिस नरपत, लक्ष्मण फौत के वारिसान वस्तीराम हुए जो फौत हो चुके है, प्रार्थीगण वारिसान है। हरदान उर्फ हरिदारा के पुत्रान धूला मूला व नैना के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2026-29 मे 1/8 हिस्सा दर्ज है। फलस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त पैतृक व पुश्तैनी हक हिस्सा की आराजी का अन्य किसी को बैचान रहन अन्य हस्तान्तरण करने तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे दखलअन्दाजी करने से अप्रार्थीगण का रोके जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जबाब बहस

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि किसी भी खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती क्लीन हैण्ड से आवश्यक पक्षकारान नही बनाया गया तथा मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही होने से अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में RRD 2006 Page 413, CJ (CIV) 2016 (1) Raj Page 311, 316 (1) CJ (CIV) Raj Page 152 के न्यायिक दृष्टान्त उद्धरण पेश कर अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा स्वच्छ हाथों (क्लीन हैण्ड) से पेश नही करने से खारिज योग्य होने से खारिज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात, जवाब प्राथनापत्र अप्रार्थीगण, बहस के दौरान व्यक्त की गई सजरा वंशावली, तथ्यों तथा न्यायिक दृष्टान्तों/उद्धरणों को गहनता से अध्ययन एवं गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वाद मे वर्णित तथ्यों, दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत् 2026–29 मिलान खसरा आदि तथा सजरा अनुसार प्रार्थीगण की पैतृक व पुश्तैनी अविभाजित आराजी की 1/3 हिस्से की पृथमदृष्टया भूमि होना सिद्ध होने से मामला प्रार्थीगण के पक्ष में होना, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय, क्षति के तीनो बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। चूंकि जवाब एवं बहस में व्यक्त अन्य तथ्यों के समावेश / विनिश्चय मूल वाद मे कायमी तनाकियात होकर वाद साक्ष्य विश्लेषण पश्चात निर्णय किया सकेगा। लिहाजा अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त / उद्धरण वर्तमान परिवेश में उचित नरपा नही होते है। जिससे प्रार्थीगण की पैतृक व पुश्तैनी भूमि मौजा सोजत चक द्वितीय में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1429 रकबा 0.6300 बा0अ0 में 1/3 हिस्से की विवादग्रस्त भूमि का अन्य भूमि किसी का बैचान रहन अन्य हस्तान्तरण करने से अप्रार्थी को रोका जाकर उक्त भूमि की वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा यथास्थिति (Status QUO)रखने हेतु अप्रार्थीगण को वाद निर्णय तक पावन्द किया जाना उचित समझते है।

–::आदेश::–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की जारी की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय में स्थित प्रार्थीगण की पैतृक व पुश्तैनी अविभाजित आराजी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1429 रकबा 0.6300 हैक्टर बा0अ0 के 1/3 हिस्से की आराजी का बैचान रहन अन्य हस्तान्तरण आदि करने से अप्रार्थीगण को रोका जाता है तथा उक्त विवादग्रस्त भूमि की वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति वाद निर्णय तक बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पावन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हों।

(अयूब खान)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर वाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अयूब खान)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner